## राजस्थान सरकार
## कार्यालय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर।

क्रमांक :– प.17(3955) आक्षेवि/रेगु/2021/100-103 दिनांक :– 06–03–2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| मुख्य अभियन्ता,<br>जल संसाधन (उत्तर)<br>हनुमानगढ़ जं.।<br>8209612035 | मुख्य अभियन्ता,<br>इन्दिरा गांधी नहर<br>परियोजना, बीकानेर<br>9116458111, 9413315069 | अति. मुख्य अभियन्ता<br>इन्दिरा गांधी नहर<br>परियोजना, जैसलमेर<br>7976104018, 8306500641 | अति. मुख्य अभियन्ता<br>सत. एवं रेगुलेशन,<br>इंगानप, बीकानेर<br>9116158111, 9413315069 |

**विषय :** इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में दिनांक 07.03.2021 प्रातः 06 बजे से दिनांक 21.03.2021 प्रातः 06 बजे तक पीने हेतु पानी चलाये जाने का प्रस्ताव।

**प्रसंग :** आपका पत्र क्रमांक एफ.4/रेगु/14–बी/1196 दिनांक 06.03.2021।

महोदय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि तकनीकी समिति की दिनांक 27.02.2021 को हुई बैठक में दिनांक 06.03.2021 से 21.03.2021 प्रात 6.00 बजे तक हरिके से राजस्थान के लिए रावी व्यास नदियों का पानी 3800 क्यूसेक निर्धारित किया गया है। जिसमें से इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 2000 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो सकेगा।

उपरोक्त के मध्यनजर दिनांक 07.03.2021 प्रातः 06 बजे से 21.03.2021 प्रातः 06 बजे तक (समय इंदिरा गांधी नहर की बुर्जी 620 के आधार पर) अनिवार्य आवश्यकता एवं लोसेज के उपरांत शेष उपलब्ध पानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से समन्वय कर इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की सभी नहरों में बारी–बारी से पीने हेतु निम्न प्रकार से प्राप्त प्रस्तावों को मुख्य अभियंता, इगानप बीकानेर अतिरिक्त मुख्य अभियंता इगानप जैसलमेर, तथा अतिरिक्त मुख्य अभियंता रेगुलेशन इगानप से प्राप्त सहमति के आधार पर निम्नानुसार एतद द्वारा अनुमोदित किया जाता है–

| क.सं. | नहरें | मात्रा क्यूसेक में |
|---|---|---|
| 1. | रावतसर शाखा के माध्यम से पीने का पानी | 55 |
| 2. | सूरतगढ़ ताप बिजलीघर के लिए | 75 |
| 3. | साहवा जलोत्थान नहर | 113.84 |
| 4. I | कंवरसेन जलोत्थान नहर | 148 |
| 4. II | सूरसागर झील बीकानेर शहर में भण्डारण हेतु | 02 |
| 5. | पीने का पानी बीकानेर शहर के लिए शोभासर जलाशय के माध्यम से | 76 |
| 6. | बरसिंहसर थर्मल प्लांट | 25 |
| 7. | नागौर लिफ्ट के माध्यम से पीने का पानी | 70 |
| 8. | मैं. बी.एस. लिग्नाईट पावर प्रो. प्राई. लि. गुड्डा | 05 |
| 9. | पीने का पानी जोधपुर लिफ्ट कैनाल परियोजना | 240 |
| 10. | सोलर पावर प्रोजेक्ट मैसर्स गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड | 1.6 |
| 11. | पोकरण फलसूंड पेयजल योजना | 30 |
| 12. | रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना | 25 |
| 13. | जैसलमेर शहर के लिए पेयजल | 30 |
| 14. | जैसलमेर संभाग के ग्रामीण क्षेत्र हेतु पेयजल | 70 |
| 15. | गिराल परियोजना | 24 |
| 16. | राजवेस्ट परियोजना हेतु | 40 |
| 17. | बाड़मेर लिफ्ट परियोजना हेतु | 50 |
| | **योग** | **1080.44** |

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चक्रीय कार्यक्रम में इंदिरा गांधी फीडर एवं इंदिरा गांधी मुख्य नहर में 1100 क्यूसेक सीपेज लोस का प्रावधान लिया जाता है लेकिन केवल पीने हेतु पानी चलाये जाने पर सीपेज लोसेज लगभग 60–70 प्रतिशत ही होंगे। अतः अनिवार्य आवश्यकता की आपूर्ति एवं लोसेज के पश्चात लगभग 500–600 क्यूसेक पानी सभी नहरों में बारी–बारी से पीने हेतु चलाये जाने के लिए उपलब्ध हो सकेगा।

अनिवार्य आवश्यकता की आपूर्ति के पश्चात शेष उपलब्ध पानी को पीने हेतु चलाये जाने का कार्यक्रम सम्बंधित मुख्य अभियंता/अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा आवश्यक्ता/प्राथमिकता अनुसार अपने स्तर पर किया जायेगा। इस हेतु निम्न बिन्दुओं का भी पालना करें :–

1. नहरों के लिए पानी केवल पेयजल हेतु उपलब्ध कराया गया है, सिंचाई हेतु नहीं। संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर इसको सुनिश्चित करेंगे।
2. जन स्वा. अभि. विभाग एवं पंचायती राज विभाग उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल का अपने विभागीय स्रोतों के माध्यम से उपयोग करना सुनिश्चित करें।
3. जारी उक्त कार्यक्रम में संबंधित नहर के अधिशासी अभियन्ता सिंचाई व्यवस्था एवं जिला कलक्टर द्वारा पानी वितरण की प्रभावी मोनेटरिंग हेतु गठित टास्क फोर्स की कियान्विति के लिए प्रत्येक समय अपने मोबाईल पर उपलब्ध रहेंगे ताकि जन प्रतिनिधियों व नागरिकों को पेयजल उपलब्धता के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके।
4. अधिशासी अभियन्ता स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने के संबंध में आदेश कमांक प.9( )संआबी/काव्य/रबी फसल/16/613 दिनांक 10.10.16 प्रसारित किये जा चुके हैं, जिसकी पालना करने का उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
5. पानी का उपयोग केवल पेयजल के लिए सुनिश्चित करने के कम में जल संसाधन, राजस्व, विकास एवं पुलिस विभाग के कार्मिकों की गश्त कार्यवाही संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में सिंचाई विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(सुनील शर्मा)

अति0 आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगांनप,
बीकानेर।

क्रमांकः—प.17(3955)/तक/आक्षेवि/रेगु/2021/104-164 दिनांकः 06.03.2021

**प्रतिलिपिः** निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1— विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राज. जयपुर।
2— प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, सीएडी एवं जल उप0 विभाग, राज, जयपुर।
3— अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
4— संभागीय आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर ।
5— निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन, राज. जयपुर।
6— जिला कलक्टर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।
7— जिला पुलिस अधिक्षक, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।
8— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।
9— मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर।
10— अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर।
11— अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रेगुलेशन, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर।
12— अति0 मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, राजीव गांधी लिफ्ट केनाल एवं जोधपुर शहर, जोधपुर।
13— अति0 मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, बीकानेर।
14— उपखंड अधिकारी, बीकानेर/खाजूवाला/लूनकरणसर/पूगल/छत्तरगढ़/कोलायत/अनूपगढ़/भादरा/चूरू/श्रीगंगानगर/श्रीविजयनगर/घडसाना/सूरतगढ़/हनुमानगढ़/नोहर/पीलीबंगा/रावतसर/सरदारशहर/तारानगर/फलोदी/पोकरण/जैसलमेर।
15— अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत, हनुमानगढ़/विजयनगर/छत्तरगढ।
16— अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, नागौर लिफ्ट परियोजना वृत, नागौर।
17— अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना वृत, बाड़मेर।
18— जिला संपर्क अधिकारी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।
19— निजी सचिव, आयुक्त, सीएडी, बीकानेर।

(संग्राम यादव)
अति0 आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगांनप,
बीकानेर।